

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/५१९५

दिनांक: 21/10/2019

आदेश

सां. आ. 124/2019 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के उपनियम (4) के द्वितीय परन्तुक के उपबंधों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक डाक मतपत्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्ध होगा और यह मतपत्र एवं प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 3294 दिनांक 06.09.2019 (सां. आ. संख्या 116/2019) द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के निर्वाचन में उपयोग हेतु डाक मतपत्र एवं उसके सम्बद्ध प्रतिपर्ण का प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)() Rules/DLB/19/33841 दिनांक 16.10.2019 से नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किए जाने के कारण नियम 46-क के प्रावधान अब सिर्फ सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए ही लागू होंगे। अतः आयोग अपने आदेश क्रमांक 3294 दिनांक 06.09.2019 (सां. आ. संख्या 116/2019) को अधिक्रमित करते हुए सदस्य पद के निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र एवं उससे सम्बद्ध प्रतिपर्ण का प्ररूप निम्नानुसार विहित करता है :-

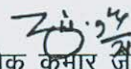
1. मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच होगी। प्रत्येक मतपत्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्ध होगा। प्रतिपर्ण मतपत्र के शीर्ष भाग पर होगा एवं प्रतिपर्ण के नीचे मतपत्र होगा।
2. प्रतिपर्ण पर विशिष्टियों का विवरण निम्नानुसार अंकित होगा :-

- (क) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर बीच का स्थान सिलाई के लिए होगा।
- (ख) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर 4 MM मोटाई का एक काली लाईन होगी।
- (ग) प्रतिपर्ण में विशिष्टियां अंकित करने हेतु पैनल की ऊचाई 40 MM होगी।
- (घ) उपर्युक्त मद (ख) के ठीक नीचे बाईं ओर से निर्वाचन के विवरण मुद्रित किये जायेंगे। यथा वार्ड सदस्य संख्या, नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन और वर्ष का उल्लेख होगा। उदाहरण के लिए-“वार्ड 15/झालरापाटन/सा.नि./2019”
- (ङ) इसके नीचे बाईं ओर से ‘निर्वाचक नामावली भाग संख्या’, इसके नीचे ‘निर्वाचक की क्रम संख्या’ एवं इसके नीचे ‘मतपत्र क्रमांक’ सुविधानुसार अंकित किए जाएंगे।
- (च) दाहिनी ओर शब्द ‘हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप’ के ठीक उपर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के लिए जगह रखी जाएगी।
- (छ) इसके नीचे छेददार पट्टी के साथ 4 MM मोटाई का एक लाईन में एक के नीचे एक पृथक सीधी रेखायें जो मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करती हो, अंकित की जाएगी।

3. प्रतिपर्ण के नीचे मतपत्र वाले भाग पर पैनलों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और उनको आवंटित प्रतीक तथा ‘नोटा (इनमें से कोई नहीं) एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक’ अंकित किए जायेंगे। प्रथम एवं द्वितीय पैनल को 10 MM एवं इसके बाद के सभी पैनल को 4 MM मोटी छायादार (Shaded) लाईन से पृथक किया जाएगा।
4. प्रथम पैनल के नीचे 10 MM मोटी लाईन को बीच से खड़ी लाईन से विभाजित किया जाएगा अर्थात् 2 इंच चौड़ाई के दो भाग बनाए जाएंगे। बाईं ओर वाले प्रथम भाग में मतपत्र क्रमांक अंकित किया जाएगा। दाईं ओर वाले दूसरे भाग को आड़ी लाईन से विभाजित कर 5 MM की दो लाईन बनाई जाएगी। प्रथम लाईन में बिन्दु संख्या 2 (घ) के अनुसार निर्वाचन का विवरण अंकित किया जाएगा एवं द्वितीय लाईन को छायादार (Shaded) रखा जायेगा।

5. अभ्यर्थी का नाम पैनल में बाईं ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर अंकित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाईं ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाईं ओर होगा।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिये आवंटित पैनल की ऊंचाई 25 MM होगी।
7. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 35 X 20 MM (चौड़ाई X ऊंचाई) से अधिक नहीं होगा।
8. अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं।
9. मतपत्र पर विशिष्टियाँ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।
10. सदस्य पद के लिए मतपत्र सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होगा।
11. जहाँ किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जायें वहाँ मतपत्र दो स्तम्भों में, 18 से अधिक होने पर तीन स्तम्भों में होगा एवं आगे भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतपत्र का प्रत्येक स्तम्भ 4 इंच का होगा।
12. मतपत्र के दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में स्तम्भों को 10 MM मोटाई की छायादार (Shaded) ऊर्ध्वाधर (Vertical) लाईन से विभाजित किया जाएगा। मतपत्र के प्रतिपक्ष को स्तम्भों में विभाजित नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की विशिष्टियाँ पहले स्तम्भ में ही अंकित की जायेंगी।
13. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।
14. नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषम में हो वहाँ मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।
15. मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में नमूना मतपत्र क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)

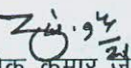
उप सचिव

दिनांक : 21/10/19

क्रमांक: एफ.1(2)(1)/नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1156-93

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

वार्ड 4 / झालरापाटन / सा. नि. / 2019	
निर्वाचक नामावली भाग संख्या	
निर्वाचक की क्रम संख्या	
No.	
हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी	
मनोज कुमार	
No.	वार्ड 4 / झालरापाटन / सा.नि. / 19
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

वार्ड 4/झालरापाटन/सा./नि./2019 निर्वाचक नामावली भाग संख्या निर्वाचक की क्रम संख्या No.		हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी	
मनोज कुमार 		मनोज कुमार 	
No.	वार्ड 4/झालरापाटन/सा.नि./19		
मनोज कुमार 		मनोज कुमार 	
मनोज कुमार 		मनोज कुमार 	
मनोज कुमार 		मनोज कुमार 	
मनोज कुमार 		मनोज कुमार 	
मनोज कुमार 		नोटा (इनमें से कोई नहीं) 	
मनोज कुमार 			